रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 2012/ज्येष्ठ 22, 1934

No. 2] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 2012/JYAISTHA 22, 1934

रक्षा मंत्रालय

(जालंधर छावनी बोर्ड)

अधिसूचना

जालंधर, 12 जून, 2012

का.नि.आ. 03(अ).—छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 350 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित, बोर्ड सूचना सं. जे सी बी/चुंगी/1510/सी तारीख 27 सितम्बर, 2011 के अंतर्गत जालंधर छावनी बोर्ड की सीमाओं के अन्दर चुंगी संग्रहण के संबंध में इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उक्त सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक जन सूचना प्रकाशित की गई थी ।

और, उक्त सूचना तारीख 29 सितम्बर, 2011 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी ।

और, उक्त सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों के अन्दर उपर्युक्त प्रारूप के संबंध में आम जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अत: छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 350 की उप-धारा (1) के सह पठित धारा 348 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जालंधर छावनी चुंगी उपविधि में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उपविधि बनाती है, अर्थात् :—

उपविधि

1. (1) इन उपविधियों का नाम जालंधर छावनी चुंगी (संशोधन) उपविधि, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. जालंधर छावनी चुंगी उपविधि, 1991 में उपविधि 26 के पश्चात् निम्नलिखित उपविधि अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"26क-वस्तुओं पर चुंगी संग्रहण का निलंबन.—इन उपविधियों मे किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से जालंधर छावनी की सीमाओं में प्रवेश करने वाली अथवा पारगमन करने वाली विद्युत, पैट्रोल या डीजल या शराब को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं पर चुंगी संग्रहण को निलंबन रखने के लिए पंजाब की राज्य सरकार के साथ सहमति के अनुसार अवधि तथा उस सरकार द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति की सीमा तक एक करार करेगा ।"

[फा. सं. जे सी बी/चुंगी/1510/सी]

विभा शर्मा, मुख्य अधिशासी अधिकारी, जालंधर छावनी

टिप्पण :—मूल उपविधि भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में का.नि.आ. सं. जे सी बी/चुंगी/3595/सी, तारीख 12 नवम्बर, 1991 के अंतर्गत प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा उनमें संशोधन किए गए :—

1. का.नि.आ. सं. जे सी बी/चुंगी/4779/सी, तारीख 24 दिसम्बर, 1996
2. का.नि.आ. सं. जे सी बी/चुंगी/1992/सी, तारीख 13 जुलाई, 2002

MINISTRY OF DEFENCE

(Jalandhar Cantonment Board)

NOTIFICATION

Jalandhar, the 12th June, 2012

S.R.O. 03(E).—Whereas a public notice in respect of collection of Octroi within the limits of Jalandhar Cantonment was published under Cantonment Board Notice No. JCB/Octroi/1510/C dated 27th September, 2011 as required by sub-section (1) of Section 350 of the Cantonments Act, 2006 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And, whereas the said notice was made available to the public on the 29th September, 2011;

And, whereas no objections or suggestions were received from the general public on the said draft within thirty days from the date of publication of the said notice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (3) of Section 348, read with sub-section (1) of Section 350 of the Cantonments Act, 2006, the Central Government, hereby makes the following bye-laws further to amend the Jalandhar Cantonment Octroi Bye-laws, namely :—

Bye-Laws

1. (1) These bye-laws may be called the Jalandhar Cantonment Octroi (Amendment) Bye-laws, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Jalandhar Cantonment Octroi Bye-laws, 1991 after bye-law 26, the following bye-law shall be inserted, namely :—

"**26 A.- Suspension of collection of Octroi on goods.**—Notwithstanding anything contained in these bye-laws, the Board may, with the prior approval of the Central Government, enter into an agreement with the State Government of Punjab, to suspend the collection of Octroi on goods, except on electricity, petrol or diesel or liquor, entering within or transiting through the limits of Jalandhar Cantonment, for such period as may be agreed upon and to the extent compensated by that Government."

[F. No. JCB/Octroi/1510/C]

VIBHA SHARMA, Chief Executive Officer, Jalandhar Cantonment

Note :—The Principal Bye-laws were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* S.R.O. No. JCB/Octroi/3595/C dated 12th November, 1991 and subsquently amended *vide* notification namely :—

1. S.R.O. No. JCB/Octroi/4779/C dated 24th December, 1996

1. S.R.O. No. JCB/Octroi/1992/C dated 13th July, 2002

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.